आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6-02-16 3-03-16		

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय
(जिला विधि शाखा)

समपहरण वाद संख्या--09 / 2007--08
राज्य बनाम राजेन्द्र पासवान

आदेश

उक्त समपहरण वाद लखीसराय थाना कांड सं0–339 / 07 दिनांक–21.07.2007 के आलोक में संधारित किया गया है। जिसके अंतर्गत जप्त खाद्यान्न 13 बोरा(प्रत्येक बोरा का वजन 50 किलो) चावल जप्त हुआ है जप्त खाद्यान्न दामोदरपुर के डीलर राजेन्द्र पासवान, ज0वि0प्र0 विक्रेता, ग्राम–दामोदरपुर, पंचायत–दामोदरपुर, थाना व जिला–लखीसराय का बताया गया है, जिसे कालाबाजारी के उद्देश्य से नया बाजार, दालपट्टी, लखीसराय बाजार में ले जाया जा रहा था, परन्तु गुप्त सूचना के आधार पर डा0 अजय कुमार पाण्डेय, कार्यपालक दण्डाधिकारी–सह–प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा जप्त कर लिया गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक–440 / विधि, दिनांक–04.10.2007 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को जप्त खाद्यान्न को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करने का आदेश दिया गया।

तदनुसार अनुमंडलाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–628 / आ0, दिनांक–14.11.2007 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जप्त 13 बोरा(प्रत्येक बोरा का वनज 50 किलो) चावल को नीलाम कर प्राप्त राशि मो0 5850=00(पाँच हजार आठ सौ पचास) रू0 मात्र अनुमंडल नजारत में जमा कर दिया गया है।

विपक्षी राजेन्द्र पासवान को इस न्यायालय ज्ञापांक–443 / विधि, दिनांक–04.10:2007 द्वारा नोटिस निबंधित डाक से भेजा गया, जो डाकघर द्वारा यह कहकर वापस किया गया कि विपक्षी बाहर रहता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक से स्पष्ट है कि विपक्षी को वाद की कार्यवाही में कोई अभिरूचि नहीं है। अतः उपरोक्त जप्त खाद्यान्न की राशि को समपहृत करते हुए वाद की कार्यवाही निष्पादित की जाती है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को भेजें तथा इस आदेश की प्रति लखीसराय जिला के वेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजे।

लेखापित / संशोधित

3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।

ज्ञापांक–158 विधि, दिनांक–03-03-16

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16
जिला दण्डाधिकारी,
लखीसराय।